



झारखंड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

पत्रांक-3251

दिनांक-16/09/22

झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

एतद् द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार एवं झारखंड भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए निम्नांकित पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र०	प्राधिकार/न्यायाधिकरण	पद	रिक्ति
1	झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार	अध्यक्ष	01
2	झारखंड भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण	सदस्य (तकनीकी)	01

2. नियुक्ति से संबंधित आवेदन, विस्तृत विज्ञापन में वर्णित प्रपत्र में वांछित सूचनाओं तथा तत्संबंधी घोषणा के साथ दिनांक-11/10/2022 को अपराह्न 4 बजे तक निम्नांकित पते पर निबंधित डाक से, स्वहस्तलिखित अथवा टंकित रूप में, समर्पित किया जा सकता है।

आवेदन प्राप्ति की निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन प्राप्ति का पता-

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग का कोषांग,  
कमरा संख्या-413, चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन,  
धुर्वा, राँची, झारखंड पिन कोड-834004

उक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित विस्तृत विज्ञापन (क्रमशः विज्ञापन सं०-3249 एवं 3250 दि०-16-09-22) विभागीय वेबसाइट-[www.udhd.jharkhand.gov.in](http://www.udhd.jharkhand.gov.in) एवं झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के वेबसाइट-[www.jharera.jharkhand.gov.in](http://www.jharera.jharkhand.gov.in) पर उपलब्ध है।

(मनोहर मरांडी)

सरकार के अपर सचिव।

राँची, दिनांक-16/09/22

ज्ञापांक-3251

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में तथा देश के महानगरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं हैदराबाद) में प्रकाशित होने वाले Time of India अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

2. निदेशित किया जाता है कि श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के अपर सचिव।